बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—::—

श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अपर महानन्दा योजना फेज–1 के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत महानंदा नदी के बाएँ एवं दाएँ तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं ब्रीक सोलिंग कार्य (वर्ष 2010–2014) में प्रावधानों के विपरीत प्राक्कलन गठन से कार्यान्वयन तक बरती गयी अनियमितता के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए इन्हें निलंबित करने एवं अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राय को अधिसूचना संख्या–1339–सह–पठित ज्ञापांक 1340 दिनांक 07.05.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री राय के विरूद्ध जल संसाधन विभाग के स्तर से गठित आरोप पत्र को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुनर्गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 1344 अनु0 दिनांक 08.05.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संदर्भित मामले में जल संसाधन विभाग के पत्रांक 991 अनु0 दिनांक 16.05.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत् रखते हुए इन्हें अधिसूचना संख्या–2148–सह–पठित ज्ञापांक 2149 दिनांक 18.07.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया। साथ ही निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार श्री राय दिनांक 07.05.2019 से 17.07.2019 तक निलंबित रहे।

4. श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरान्त अधिसूचना संख्या–1834–सह–पठित ज्ञापांक 1835 दिनांक 08.11.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के

नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत पेंशन से अगले तीन वर्षों तक 10 प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी।

5. श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिन आरोपों पर श्री राय को दिनांक 07.05.2019 से 17.07.2019 तक निलंबित रखते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, उसी आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरान्त दंड संसूचित कर दिया गया है।

6. अतएव उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री राय के निलंबन अवधि (दिनांक 07.05.2019 से दिनांक 17.07.2019) में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी, के रूप में विनियमित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–366/2018 9270 /पटना, दिनांक:– 28.8.25

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–366/2018 9270 /पटना, दिनांक :– 28.8.25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः–2/अ०प्र०–1–366/2018 9270 /पटना/दिनांकः– 28.8.25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री सुभाष राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता–हथुआ कोठी, रामजीचक, दीघा, बाटागंज, पटना–800018 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–366/2018 9270 /पटना, दिनांक :– 28.8.25

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

27/8/25
अवर सचिव